मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांकः13.10.2025

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को आर्थिक मदद आदि का प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने वाले 02 अभियुक्त/अभियुक्ता गिरफ्तार,मौके से धार्मिक पुस्तक,रजिस्टर व फोटो बरामद -

दिनांक 12.10.2025 को थाना क्षेत्र लालगंज क्षेत्र अन्तर्गत हिन्दू धर्मावलम्बियों को प्रलोभन देकर ईसाई धर्म में संपरिवर्तन कराने सम्बन्धी आरोपों के सम्बन्ध में वादी श्री गौरवेन्द्र सिंह पुत्र काशी प्रसाद सिंह निवासी चेरूईराम थाना लालगंज जनपद मीरजापुर द्वारा दी गयी लिखित तहरीर पर थाना लालगंज पर मु0अ0सं0 394/25 धारा- 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरूद्ध धर्मसंपरिवर्तन निषेध अधिनियम 2021 बनाम जेम्स पाश्वर आदि 02 नफर के विरूद्ध पंजीकृत कर विवेचना उ 0नि0 काशी सिंह थाना लालगंज द्वारा सम्पादित की जा रही है। वरिष्ठ अधिकारीगण द्वारा घटना में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी व साक्ष्य संकलन के निर्देश दिये गये।

दिये गये निर्देश के क्रम में थाना लालगंज पुलिस द्वारा मौके पर जाकर जॉच की गयी तो पाया गया कि बसहीकलां हाइवे के दक्षिण तरफ कुछ लोगों को चंगाई सभा कर धर्मपरिवर्तन कराने के लिए एकत्र किया गया है और उन्हें प्रलोभन देकर धर्मपरिवर्तन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस अवैध कार्य में संलिप्त 02 अभियुक्त/अभियुक्ता क्रमशः जेम्स उर्फ रामदीन उर्फ राजू पुत्र जगतदारी व सरिता देवी पत्नी रामदीन उर्फ राजू निवासीगण स्थायी पता- ग्राम राहट थाना चौरहटा जनपद रीवा मध्य प्रदेश , हालपता निवासी लालगंज रविन्द्र पटेल के मकान पर किरायादार थाना लालगंज जनपद मीरजापुर को हिरासत में लेकर पूछताछ की गयी।

पूछताछ का विवरण-

जेम्स द्वारा अपनी पत्नी सरिता देवी के साथ संस्था के माध्यम से प्राप्त पैसे से गॉव गॉव जाकर खास तौर निर्बल/पिछड़े/आदिवासी समाज को मिशन से जोड़ते हैं और उनको ईसाई धर्म स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उनको प्रार्थना सभाओं में ले जाकर धीरे-धीरे ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रलोभन देकर तथा समय-समय पर उनकी आवश्यकताओं को देखते हुये सामान/पैसा आदि दिया जाता है तथा प्रभु यीशु के गीत गाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और धीरे-धीरे उनका धर्मान्तरण कराया जाता है।

नाम पता गिरफ्तारअभियुक्त/अभियुक्ता-

01- जेम्स उर्फ रामदीन उर्फ राजू पुत्र जगतदारी निवासी स्थायी पता- ग्राम राहट थाना चौरहटा जनपद रीवा मध्य प्रदेश।

02- सरिता देवी पत्नी रामदीन उर्फ राजू निवासी स्थायी पता- ग्राम राहट थाना चौरहटा जनपद रीवा मध्य प्रदेश।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 394/25 धारा- 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरूद्ध धर्मसंपरिवर्तन निषेध अधिनियम ,थाना लालगंज जनपद मीरजापुर

बरामदगी का विवरण-

(01) रजिस्टर, प्रार्थना किताब कुल -04 अदद व एक फोटो

(02)-मोबाइल फोन- जिसमें महत्वपूर्ण डिजीटल साक्ष्य उपलब्ध है, जो जब्त किये गये है।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम का विवरण-

01- निरी0 अभय सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना लालगंज, जनपद मीरजापुर मय टीम।

02- उ0नि0 काशी सिंह, थाना लालगंज, जनपद मीरजापुर।

******